



बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय – विद्यापति मार्ग, पटना-800001



डॉ० राय चन्द्र पासवान
अध्यक्ष
मो० 9471867310

Email- bvapatna@gmail.com

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता
प्रधान महासचिव
मो० 7488601083

पत्रांक-

दिनांक-

महासचिव

डॉ० दिलीप कुमार
मो० 9801881887

उपाध्यक्ष

डॉ० शोभा कुमारी
मो० 7858012676
डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला
मो० 6203955586

डॉ० सुधांशु कुमार
मो० 9939365429
डॉ० अंजनी कु० सिन्हा
मो० 9334164261

संगठन सचिव

डॉ० अनिल कुमार निर्झर
मो० 8002460154

कोषाध्यक्ष

डॉ० जितेन्द्र प्रसाद
मो० 9431033631

वित्त सचिव

डॉ० प्रमोदानंद लाल दास
मो० 9431472705

अंकेक्षक

डॉ० विजय प्रसाद मंडल
मो० 9430947979

तकनीकी सचिव

डॉ० सीमु
मो० 9471642606

प्रचार सचिव

डॉ० अंशु कुमार
मो० 9572165500

क्षेत्रीय सचिव

डॉ० सत्य नारायण यादव
मो० 9204908025

डॉ० संजीत कुमार

मो० 7070521479

डॉ० पंकज कुमार

मो० 8178451672

डॉ० करुणा भारती

मो० 9905277744

डॉ० साकेत कुमार

मो० 9471404196

डॉ० राजशेखर

मो० 7979085551

डॉ० निरंजन कुमार

मो० 9162394546

डॉ० उपेंद्र कुमार चौधरी

मो० 7091974830

सेवा में,

अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी,
सहरसा, बिहार।

विषय :- डा० साकेत कुमार, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, बनगाँव, सहरसा को नियमानुकूल आठ प्रतिशत (8%) की दर से मकान किराय भत्ता का भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक डा० साकेत कुमार, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में कहना है कि प्रथम वर्गीय पशुचिकित्सालय बनगाँव (सहरसा) सदर प्रखंड – कहरा (सहरसा) के बरियाही गौशाला भवन में संचालित है, जिसकी दूरी सहरसा नगर परिषद व नगर पालिका सीमा क्षेत्र से 04.2 कि०मी० है। डा० साकेत द्वारा दूरभाष पर यह भी बताया गया है कि यहाँ पदास्थापित पूर्व के पशुचिकित्सकों को सहरसा शहरी क्षेत्र के समतुल्य मकान किराया भत्ता का भुगतान किया गया है जिसकी सम्पुष्टि अपने कार्यालय अभिलेख से भी किया जा सकता है। साथ ही पशुचिकित्सालय के समीप स्वास्थ्य विभागा के कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों को भी वर्तमान में आठ प्रतिशत (8%) की दर से मकान किराय भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, जिसका साक्ष्य डा० साकेत द्वारा आपके कार्यालय को भी उपलब्ध कराया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में महोदय से सादर अनुरोध है कि डा० साकेत को भी नियमानुकूल आठ प्रतिशत (8%) की दर से मकान किराय भत्ता का भुगतान करने की महती कृप की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डा० दिलीप कुमार)

महासचिव

पटना, दिनांक.....01.....अक्तुबर, 2020

ज्ञापांक87...../ बि०प०चि०संघ

प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


(डा० दिलीप कुमार) 01.10.2020

महासचिव